

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/46930/2020

1.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद हाथरस में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम०डी०आर० 102) चेनेज 38.790 किमी० 39 दायीं पटरी खसरा संख्या-3179 ग्राम नौगवाँ तहसील सादाबाद जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.0590172 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 09.11.2020

स्थान:- अलीगढ़।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 870 / 14-1, दिनांक: अलीगढ़, नवम्बर: 09, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद हाथरस में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम०डी०आर० 102) किमी० 39 खसरा संख्या-3179 ग्राम नौगवाँ तहसील सादाबाद जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.0590172 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति (प्रस्ताव संख्या 46930/2020) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग का पत्रांक 1422/14-1 दिनांक 05.11.2020

कृपया उपरोक्त विषयक मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम०डी०आर०-102) किमी० 39 खसरा संख्या-3179 ग्राम नौगवाँ तहसील सादाबाद जिला हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.0590172 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस के सन्दर्भित पत्र द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रस्ताव प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस की संस्तुति के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 870 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक बी०पी०सी०एल० मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस के सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।